

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>डी जाता है कि आगामी नारीज पेशी से अतिवक्त: पेशी के हुके अर्थात जानक बंद किया जाकर सीधे ही बस ही जावेगी पञ्जावली पेशी के अवक 377 उर्लिन-पत्र दिनांक 28/01/22 से पेशी है। <u>पुन</u></p>	
27-6-22	<p>पञ्जावली पेशी हुकी। अतिवक्त 377- पक्ष उपस्थित आये। पार्षना-पत्र 022R3 व 5-5 परिच आदि पर जानक बंद किया जाकर सीधे ही बस हुनी गयी। पञ्जावली वक्त अदेश 377 पार्षना-पत्र दिनांक 04/7/22 से पेशी है। <u>पुन</u></p>	
04/7/22	<p>पञ्जावली पेशी हुकी। अतिवक्त उभय पक्ष उपस्थित आये। पार्षना- पत्र 022R3, धारा-5, परिलीना अधि का अवलोकन व अधपत्र किया तथा मनन विद्वान अधिवक्त उभय पक्ष की बहस पर किया। प्रस्तुत दस्तावेज दिनांक 28/01/22 से स्पष्ट है कि प्र. हा. 3 जानक लाल की मृत्यु 04/9/21 से हुकी थी जिसका मृत्यु-प्रमाण</p>	



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
आह्वान जो
हुक्म की कार्यवाही
में जारी है

24/3/22 पत्र - पञ्जाबी पर है। उक्तानुसार
 पुन्यता प्राप्त हो जाने के बावजूद अधि
 वारी द्वारा 24/3/22 को लगभग
 5 माह बाद ज्यादा गुजरने पर प्रार्थना-
 पत्र अर्गत आदेश 22 निपत्र 03
 बी.पी.पी. तथा प्रार्थना-पत्र धारि-5
 पार्लीमन अधिनियम प्रस्तुत किया
 अधि 0 प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश न करने
 पर बेंच क्रिया गला न रहता हुनी गयी।
 प्रार्थना 022 R3 के अवलोकन से
 स्पष्ट है कि प्रतिवा. 3 की मृत्यु
 के उपरान्त वारिसान को रिपोर्ट पर
 किया जाने परन्तु कागजात उत्प्रेषण/उत्प्रेषण
 उत्प्रेषणों की मृत्यु के बाद 3 के विधिक
 वारिसान को रिपोर्ट पर लेने हेतु प्रार्थना
 पत्र अर्गत आदेश 22 निपत्र 4 पेश किया
 यह प्रस्तुत व्याख्या को संघटे में
 रखा गया। साथ ही धारि-5 पर प्र.
 के प्रार्थना-पत्र में देरी गयी का उचित ध्यान
 भी संश्लेषित नहीं है।

अतः उक्तानुसार प्रार्थना-पत्रों में
 Ambiguity होने तथा भ्रम उत्पन्न
 होने से पार्लीमन अधिनियम की धारि
 120 का प्रयोग करते हुये प्रार्थना-पत्र
 अस्वीकार कर वारी इसी स्तर
 पर जारी किया जाता है।

पञ्जाबी केवल कुमार से 10 नंबर
 से क्रम की गयी राजिण्ड 5 पर है।
 निर्णय लिया गया दूरे इजलास गुगापा 03/04/22

संयोजक
 न्यायाधीश